

झारखण्ड सरकार
वाणिज्य-कर विभाग।

पत्र संख्या-वा0क0रा0गो0अभ्यु0-30-02/2015- 599(अनु) राँची, दिनांक- 15/2/16
प्रेषक,

बैजनाथ राम,
सरकार के संयुक्त सचिव।

सेवा में,

झारखण्ड वित्त सेवा के सभी पदाधिकारी।

विषय :- झारखण्ड वित्त सेवा के पदाधिकारियों के परफॉरमेंस स्वमूल्यांकन प्रतिवेदन का अभिलेखन के संबंध में।

प्रसंग:- वाणिज्य-कर संयुक्त आयुक्त (प्र0), राँची प्रमण्डल, राँची के पत्रांक 63 दिनांक 23.01.16

महाशय,

उपर्युक्त विषयक प्रासंगिक पत्र द्वारा उपलब्ध करायी गयी झारखण्ड वित्त सेवा के पदाधिकारियों के वार्षिक गोपनीय अभ्युक्ति / परफॉरमेंस स्वमूल्यांकन प्रतिवेदन हेतु सरलीकृत परिशिष्ट (तीन पृष्ठों में भाग v तक विवरणीत) की छाया प्रति संलग्न करते हुए निदेशानुसार कहना है कि उक्त पर अपना मंतव्य ^{e-mail के जवाब} दिनांक 19.02.2016 तक विभाग को निश्चित रूप से उपलब्ध कराने की कृपा की जाए।

अनु0-यथोक्त।

विश्वासभाजन

सरकार के संयुक्त सचिव।

कार्यालय: वाणिज्य-कर संयुक्त आयुक्त (प्रशासन), राँची प्रमंडल, राँची।

40

पत्रांक:- 63

दिनांक:- 23/1/16

प्रेषक,

रंजन कुमार सिन्हा
संयुक्त आयुक्त(प्र०),
राँची प्रमण्डल, राँची।

सेवा में,

श्री वैजनाथ राम
सरकार के संयुक्त सचिव,
वाणिज्य-कर विभाग,
झारखण्ड, राँची।

Dy. Sec
25/1/16

प्रशासक पत्रांक (राज्यप्रतिष्ठ)

विषय :-

झारखण्ड वित्त सेवा के पदाधिकारियों के परफॉरमेंस स्वमूल्यांकन प्रतिवेदन के अभिलेख में मन्तव्य के संबंध में।

प्रसंग :-

विभागीय पत्रांक- 4474 दिनांक-12.11.201 एवं पत्रांक-4791 दिनांक-14.12.15 एवं पत्रांक-222 दिनांक-19.01.2016

महोदय,

उपरोक्त विषयक प्रासंगिक पत्र द्वारा झारखण्ड वित्त सेवा के पदाधिकारियों के वार्षिक गोपनीय अभ्युक्ति/परफॉरमेंस स्वमूल्यांकन प्रतिवेदन अभिलेख स्वतः स्पष्ट एवं प्रभावी हो सके इस उद्देश्य से सरलीकृत परिशिष्ट (तीन पृष्ठों में भाग V तक विवरणीत) विचारार्थ प्रेषित किया जा रहा है।

474
25/1/16

प्रशासक पत्रांक
25/1/16

विश्वासभाजन

23.1.16

वाणिज्य-कर संयुक्त आयुक्त(प्र०)
राँची प्रमण्डल, राँची।

पत्रांक: राँची, दिनांक:

1. पदाधिकारी का नाम-
2. पदनाम/वर्तमान पदस्थापना-
3. विचाराधीन अवधि-

भाग-11 स्वमूल्यांकन परिशिष्ट

1. (a) वार्षिक लक्ष्य-
- (b) लक्ष्य प्राप्ति-
- (c) लक्ष्य से कम संग्रहण का कारण-
2. (a) कुल पारित कर निर्धारण आदेश की संख्या-
(नियमित कर निर्धारण आदेश विभिन्न न्यायालयों से रिमांड आदेश अंकेक्षण आपत्ति निराकरण आदेश सहित)
- (b) कुल सृजित मांग-
- (c) वसूली की राशि-
- (d) लम्बित रहने का कोई विशेष कारण
(यथा न्यायालय द्वारा स्थगित राशि, अपील/रिवीजन में लंबित आदि)
3. (a) व्यवसायिक प्रतिष्ठान/ट्रांसपोर्ट गोदामों/वाहनों के जाँच की संख्या-
- (b) कुल निष्पादन-
- (c) सृजित मांग की राशि-
- (d) कुल वसूली की राशि-
- (e) वसूली लम्बित रहने का कारण-
4. अन्य कार्य
 - (1) (a) विवरणियों की संवीक्षा/जाँच की संख्या-
 - (b) विभिन्न प्रपत्रों के सत्यापन की संख्या-
 - (c) विभिन्न स्रोतों से प्राप्त आंकड़ों की जाँच की संख्या-
 - (2) (a) सृजित मांग की राशि-
 - (b) वसूली की राशि-
 - (c) वसूली राशि लम्बित रहने का कारण-

5. (a) निबन्धन हेतु प्राप्त कुल आवेदन (निबन्धन पदाधिकारियों के लिए लागू)–
 - (b) कुल स्वीकृत मामलों की संख्या–
 - (c) कुल अस्वीकृत मामले की संख्या–
 - (d) कुल लम्बित आवेदन की संख्या–

6. वैट अंकेक्षण हेतु चयनित मामले (वैट अंकेक्षण पदाधिकारियों के लिए लागू)–
 - (a) निष्पादित मामलों की संख्या (धारा 34 के अंतर्गत)–
 - (b) कर निर्धारण की संख्या (धारा 37 के अंतर्गत)–
 - (c) अतिरिक्त सृजित मांग की राशि–
 - (d) कुल सृजित मांग की राशि–
 - (e) कुल वसूली की राशि–
 - (f) वसूली लंबित रहने का कारण–

पदाधिकारी का नाम–
पदनाम–
कार्यालय–

भाग-III पदाधिकारी के कार्यों का मूल्यांकन

1. अंचल प्रभारी की अभ्युक्ति–

2. संयुक्त आयुक्त की अभ्युक्ति–

3. आयुक्त की अभ्युक्ति–

भाग-IV पुनर्विलोकन

स्थान -
तिथि-

समीक्षी पदाधिकारी का हस्ताक्षर

भाग-V स्वीकृति

स्थान -
तिथि-

स्वीकर्ता पदाधिकारी का हस्ताक्षर